

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

क्रमांक : सामान्य/2024/2354

दिनांक : 30.07.2024

प्रेषित :

श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय,
बून्दी (राज.)

विषय : संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी के प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्र क्रमांक स्था./2024/1973
दिनांक 29.07.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के प्रसंग में निवेदन है कि श्री विकास नेहरा, आर.जे.एस. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, जिला बून्दी द्वारा इस न्यायालय को आज सूचित किया गया है कि वे पूर्व में रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में बताना भूल गये थे तथा दिनांक 22.08.2024 को उनकी सीकर न्यायालय में पेशी होने से उक्त दिवस को उनकी रिमाण्ड ड्यूटी नहीं लगाये जाने बाबत निवेदन किया है। अतः माह अगस्त, 2024 की निम्नलिखित तिथियों में संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी हेतु प्रस्तावित न्यायिक अधिकारीगण के नाम अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	ड्यूटी की दिनांक	मोबाईल नम्बर
1.	श्री विकास नेहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन (बून्दी)	04.08.2024	8619550970
2	श्रीमति वृष्टि विज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-3, बून्दी	09.08.2024 10.08.2024 11.08.2024	8800441494
4	श्री रिकू कुमार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली, जिला बून्दी	15.08.2024	9461253244
5	श्री हनुमान सहाय मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ (बून्दी)	18.08.2024 19.08.2024	9509517697
6	सुश्री ममता, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी	22.08.2024	9950348629
7	श्रीमती सोनम आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा जिला बून्दी	24.08.2024 25.08.2024 26.08.2024	7567836148

नोट - 1. उक्त अवकाशों के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर अथवा श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी द्वारा अवकाश घोषित किये जाने पर श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां, जिला बून्दी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी उक्तानुसार सम्पादित की जावेगी।

2. उक्त किसी भी अधिकारीगण का स्थानान्तरण होने पर उनके स्थान पर आने वाले अधिकारीगण द्वारा ही नियत अवधि में रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

भवदीय
30/7/24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)